

23/8/24

पं. व. ए. / ११४

पञ्जावली पेरा हुई वादी मय अधिवक्ता उपस्थित
नहीं। विधिवत डेवाजलमाने पर भी वादी व
उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं
हुए। अतः वादी का वाद अफस होजरी व इफ्तम
पैखी में खरीज किया जाता है। ✓✓

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला बीलवाड़ा